न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 12/2014 (उदयपुर डिक्री)

1. तखतमल पिता कालूलाल जी पोरवाल, निवासी 1, शाहपुरा हाउस, बड़ी सब्जी मण्डी, मुखर्जी चौक, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती शान्ता बाई पत्नी तखतमल जी पोरवाल, निवासी 1, शाहपुरा हाउस, बड़ी सब्जी मण्डी, मुखर्जी चौक, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मीरा पोरवाल पत्नी राकेश धर्मावत पुत्री स्वर्गीय तखतमल जी पोरवाल, निवासी 116, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)
4. गोविन्द पिता भज्जा जी मीणा, निवासी बम्बोरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. तुलसीराम पिता गणेश जी भील, निवासी दर्शन घाटी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
2. परथा पिता भैरा सोलंकी (भील), निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती डालकी पत्नी स्वर्गीय परथा जी, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. कालू पिता स्वर्गीय परथा जी, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. नारू पिता स्वर्गीय परथा जी, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. चुन्नीलाल पिता वरदा जी सोलंकी (तेली), निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. रोशनलाल पिता वरदा जी सोलंकी (तेली), निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. रामचन्द्र पिता वरदा जी सोलंकी (तेली), निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्रीमती मीरा पोरवाल अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 1

3– श्री आलोक जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

4– श्री मनोज कोठारी अभिभाषक रेस्पो. सं. 3, 4, 5

(2) प्रकरण संख्या 22/2014 (उदयपुर डिक्री)

परथा पिता भेरा (सोलंकी), निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती डालकी पत्नी स्वर्गीय परथा जी, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. कालू पिता स्वर्गीय परथा जी, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. नारू पिता स्वर्गीय परथा जी, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
2. चुन्नीलाल पिता वरदा जी सोलंकी (तेली), निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रोशनलाल पिता वरदा जी सोलंकी (तेली), निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. रामचन्द्र पिता वरदा जी सोलंकी (तेली), निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. गोविन्द पिता भज्जा जी मीणा, निवासी बम्बोरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. तुलसीराम पिता गणेश जी भील, निवासी दर्शन घाटी, उदयपुर (राज.)
7. तखतमल पिता कालूलाल जी पोरवाल, निवासी 1, शाहपुरा हाउस, बड़ी सब्जी मण्डी, मुखर्जी चौक, उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती शान्ता बाई पत्नी तखतमल जी पोरवाल, निवासी 1, शाहपुरा हाउस, बड़ी सब्जी मण्डी, मुखर्जी चौक, उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती मीरा पोरवाल पत्नी राकेश धर्मावत पुत्री स्वर्गीय तखतमल जी पोरवाल, निवासी 116, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री आलोक जैन अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 1

3– श्रीमती मीरा पोरवाल अभिभाषक रे.सं. 5 से 9

4– श्री गोपाल सनाढ्य अभिभाषक रे. सं. 5 से 9

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 08.01.2014 प्र.सं. 109/2010

———::———

निर्णय **दिनांक 26–12–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 175, 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 के खाता संख्या 373 की कुल किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 परथा पिता भेरा सोलंकी (भील) 2/3, गोविन्द पिता भज्जा मीणा 1/6 व तुलसीराम पिता गणेश भील 1/6 के नाम तथा आराजी नंबर 331 व 332 किता 2 रकबा 0.2350 हैक्टर भूमि परथा पिता भेरा सोलंकी (भील) के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति के हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 4 जो जाति से तेली होकर सवर्ण हैं, को विक्रय कर जरिये नामान्तरकरण संख्या 156 व 157 द्वारा अवैध हस्तान्तरण कर दिया गया है। जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 में उपरोक्त वर्णित किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर भूमि में रूपा पिता देवा 1/3 एवं विपक्षी संख्या 1 परथा पिता भेरा भील 2/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड थी तथा आराजी नंबर 331 व 332 किता 2 रकबा 0.2350 हैक्टर गणेश पिता रोड़ा भीम के नाम दर्ज रेकार्ड थी। गणेश द्वारा उपरोक्त आराजी नंबर 331 व 332 विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर जरिये नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 04–12–1991 से दोनों आराजियात विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर में 2/3 हिस्सा तथा आराजी नंबर 331 व 332 का सम्पूर्ण रकबा 0.2350 हैक्टर का विपक्षी संख्या 1 परथा खातेदार बन गया। इसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 द्वारा किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर भूमि में से अपना 2/3 हिस्सा

तथा आराजी नंबर 331 व 332 किता 2 रकबा 0.2350 हैक्टर का सम्पूर्ण रकबा विपक्षी संख्या 2 से 4 को दिनांक 10–06–1992 को विक्रय कर रजिस्ट्री करा दी गयी, जिससे जरिये नामान्तरकरण संख्या 156 व 157 से भूमियां विपक्षी संख्या 1 के बजाय विपक्षी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार अनुसूचित जाति की भूमि का सवर्ण जाति के पक्ष में अवैध हस्तान्तरण होने से प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन होने से धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर में 2/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के पश्चात् रूपा पिता देवा भील ने अपना 1/3 हिस्सा हूरता पिता सवा भील व गंगा पिता मोटा भील को दिनांक 03–09–2002 को विक्रय कर रजिस्ट्री करा दी, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 05–02–2002 द्वारा उपरोक्त 1/3 हिस्सा क्रेता हूरता पिता सवा भील व गंगा पिता मोटा भील के नाम दर्ज हुआ। विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा भूमियां दिनिांक 26–11–2002 को पुनः विपक्षी संख्या 1 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दी गयी, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 395 व 396 दिनांक 20–03–2003 द्वारा उक्त भूमियां विपक्षी संख्या 2 से 4 के बजाय विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार हूरता पिता सवा भील द्वारा अपना 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 5 को व गंगा पिता मोटा भील द्वारा अपना 1/6 हिस्सा विपक्षी संख्या 6 को विक्रय कर दिया गया।

उपरोक्त किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर में विपक्षी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 व 6 का 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के पश्चात् सभी सहखातेदारान के मध्य आपसी विभाजन हुआ। उपरोक्त आराजियात के पूर्व में हुए विक्रय एवं कब्जे के संबध में चले विवाद में उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के मुकदमा नंबर 14/2004 एवं 15/2004 के निर्णय दिनांक 21–02–2005 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 408 व 409 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को रिमाण्ड कर दिया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 408 व 409 का दाखला नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी में लगाया जाकर चौसाला जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 में उक्त दोनों नामान्तरकरणों के अमल दरामद रोक दिये गये। इससे बंटवाड़े का

नामान्तरकरण संख्या 411 भी प्रभावित होने से उसका भी नामान्तरकरण नई जमाबन्दी में अमल दरामद रूक गया।

प्रभावित पक्षकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के उपरोक्त निर्णय दिनांक 21–02–2005 के विरूद्ध अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के यहां की गयी, जहां प्रकरण संख्या 67/2005 व 68/2005 दर्ज होकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20–04–2006 से उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के उपरोक्त निर्णय दिनांक 21–02–2005 को निरस्त कर तहसीलदार गिर्वा के नामान्तरकरण संख्या 408 व 409 के स्वीकृति आदेश को बहाल रखा। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपु के उक्त निर्णय का दाखला राजस्व रेकार्ड में लगने के पश्चात् संबंधित खातेदार व सहखातेदारों द्वारों संयुक्त रूप से आवेदन करने पर जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 16–06–2006 द्वारा अन्य दूसरी आराजी के साथ किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर में से आराजी नंबर 308 रकबा 0.0100 हैक्टर को छोड़कर शेष आराजी नंबर 331 व 332 का कुलिया रकबा 0.2350 हैक्टर भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया गया। रूपान्तरण आदेश का नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से उक्त आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है।

उक्त वादग्रस्त आराजियात किता 6 रकबा 1.3400 हैक्टर तथा आराजी नंबर 331 व 332 हैक्टर आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रूपान्तरित होने के बाद विपक्षी संख्या 5 व 6 द्वारा उपरोक्त आराजियात किता 6 रकबा 1.3400 हैक्टर में अपना 1/6, 1/6 हिस्सा विपक्षी संख्या 7 व 8 को विक्रय कर दिनांक 14–06–2007 को पंजीकृत करवा दिया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त किता 6 रकबा 1.3400 हैक्टर में अपना 2/3 हिस्सा तथा आराजी नंबर 331 व 332 का कुलिया रकबा 0.2350 हैक्टर भी विपक्षी संख्या 7 से 8 को दिनांक 30–03–2007 को विक्रय कर दिया। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 अनुसार खाता संख्या 373 में उपरोक्त किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर विपक्षी संख्या 1 के नाम 2/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 के नाम 1/6 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 6 के नाम 1/6 हिस्सा तथा आराजी नंबर 331 व 332 का कुलिया रकबा 0.2350 हैक्टर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है।

इस प्रकरण प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त आराजी किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर में अपना 2/3 हिस्सा तथा आराजी नंबर 331 व 332 का कुलिया रकबा 0.2350 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 2 से 4 जो कि सवर्ण जाति के हैं, को किया गया विक्रय स्पष्ट रूप से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है तथा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बेदलखी कर बिलानाम घोषित किया जावे तथा विपक्षीगणों से उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी भूमिधारी को दिलाया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 से 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 5 व 6 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की :–

1. आया वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम हस्तान्तरण होने से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन होने से उक्त विक्रय पत्र शून्य है ?.....प्रार्थी
2. आया वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जनजाति द्वारा भूमि सवर्ण जाति को विक्रय होने से अवैध हस्तान्तरण से उक्त भूमि को बिलानाम घोषित कराने का अधिकारी है ?.....प्रार्थी
3. आया वाद विपक्षी द्वारा रूपान्तरण से आबादी में दर्ज करने के आदेश से उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में हल्के आबादी में परिवर्तित की गयी है, जिससे यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है ?.....विपक्षी संख्या 7,8,9
4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल प्रार्थना पत्र/वाद संख्या 212/07 में अपने निर्णय दिनांक 16–12–2008 से विवादित आराजियात कुल किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर तथा आराजी नंबर 331 व 332 को बिलानाम दर्ज कर कब्जे राज लेने का आदेश पारित किया।

उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील नंबर 8/2009, 9/2009 एवं 114/2009 प्रस्तुत की गयी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–11–2009 से अपील संख्या 114/2009 स्वीकार की तथा अपील संख्या 8/2009 व 9/2009 को आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–12–2008 अपास्त कर यह निर्णय पारित किया कि ''उपर वर्णित बिन्दुओं पर कि 1992 से 2002 तक की अवधि में सोलंकी तेली का इस भूमि पर कब्जा था या नहीं कोई भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है इसलिए धारा 175 के निर्णय का अभी तक का कोई आधार नहीं है इसलिए यदि पत्रावली में धारा 175 का वाद निर्णित करने हेतु पुनः साक्ष्य ली जाना आवश्यक है। अतः पुनः साक्ष्य ली जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है।''

इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 109/2010 दर्ज किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय में विपक्षी संख्या 1 से 4 व 7 से 9 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 5 के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा द्वारा दिनांक 18–11–2013 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर तत्कालीन पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को तलब किया जाकर उनकी साक्ष्य करवाये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर साक्ष्य की तलबी न्यायालय से करवाये जाने हेतु आदेश जारी किये गये तथा पटवारी अम्बालाल के बयान कलमबद्ध किये गये।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 08–01–2014 को पुनः प्रकरण संख्या 109/2010 में पूर्वानुसार निर्णय पारित करते हुए भूमियों को बिलानाम दर्ज करने एवं कब्जेराज लेने का आदेश दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर विपक्षी संख्या 5 से 9 द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 12/2014 दिनांक 09–05–2014 को पेश की गयी, जिसे आगे हम प्रथम अपील कहेंगे। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपील संख्या 22/2014 दिनांक 13–05–2014 को पेश की गयी, जिसे आगे हम द्वितीय अपील कहेंगे।

उक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 109/2010 निर्णय दिनांक 08–01–2014 के विरूद्ध पेश की गयी हैं। दोनों ही अपीलों के प्रकरण व निर्णय तथा पक्षकारान व विषय वस्तु समान होने से दोनों का एक ही निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावे।

प्रकरण में सर्व प्रथम हम अपील संख्या 12/2014 का निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से नकल हेतु आवेदन दिनांक 09–01–2014 को पेश करने के बाद नकल दिनांक 02–05–2014 को अर्थात करीब 4 माह बाद तैयार हुई है, जो विचारणीय है। प्रकरण में नकल विलम्ब से दिये जाने के कारण अपील अन्दर मयाद दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से वकील श्री मनोज कोठारी उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। प्रकरण में गंगा पिता मोता भील व हुरता पिता सवा भील ने अपना 1/6, 1/6 हिस्सा विपक्षी संख्या 5 व 6 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5) को विक्रय कर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 5 व 6 विवादित भूमि के सहखातेदार होकर उनके मध्य आपसी बंटवाड़े अनुसार आराजी नंबर 309, 310, 334 कुल किता 3 रकबा 0.8900 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में आयी तथा आराजी नंबर 326, 329, 330, 334/1 कुल किता 4 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 5 व 6 के हिस्से में आयी तथा आराजी नंबर 308 रकबा 0.0100 हैक्टर भूमि सिपक्षी संख्या 1 तथा विपक्षी संख्या 5 व 6 के हिस्से की

होकर मंदिर के लिए छोड़ी गयी है। बंटवाड़े अनुसार तहसीलदार बारापाल द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। विपक्षी संख्या 1 तथा 5 व 6 द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन करने पर जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा दिनांक 16–06–2006 को अन्य दूसरी आराजियात के साथ वादग्रस्त भूमियों का कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर दिया गया। तहसीलदार के बंटवाड़ा व जिला कलक्टर के रूपान्तरण आदेश के बाद धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही किये जाने योग्य नहीं थी। प्रतिप्रेक्षण आदेशों के क्रम में वर्ष 1992 से 2002 तक सोलंकी तेलियों का कब्जा था अथवा नहीं, इस बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थी, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–11–2009 से अपील संख्या 114/2009 सम्पूर्ण रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया गया है, जिसकी कोई अपील प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा कोई अपील नहीं की गयी है। वादग्रस्त भूमियों में से अपीलान्ट संख्या 4 व 5 द्वारा अपने खाते की भूमियों को आबादी में परिवर्तित कराने के बाद अपीलान्ट संख्या 1 से 3 को विक्रय किया गया, जिसे धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा इस अपील के सन्दर्भ में यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिप्रेक्षण आदेशों के क्रम में वर्ष 1992 से 2002 तक सोलंकी तेलियों का उक्त भूमि पर कब्जा होने बाबत् सिर्फ पटवारी के बयान करवाये गये हैं, जिसमें भी उक्त भूमि का सिर्फ विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का कथन किया गया है। भूमि पर कब्जा सोलंकी तेलियों का होने बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिप्रेक्षण आदेश के विरूद्ध तथा अपील संख्या 114/2009 में पारित निर्णय के विपरीत जाकर रूपान्तरण शुदा भूमि जो की अपीलान्ट संख्या 4 व 5 द्वारा अपने खाते की भूमियों जिसका रूपान्तरण उसके द्वारा करवाया गया एवं भूमियों का विक्रय अपीलान्ट संख्या 1 से 3 को विक्रय किया गया, उन भूमियों को भी धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानकर सम्पूर्ण भूमि को बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो

प्रतिप्रेक्षण आदेशों की पालना की गयी है, न ही अपील संख्या 114/2009 में दिये गये आदेशों के क्रम में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अपीलान्ट संख्या 4 व 5 द्वारा अपने खाते की भूमि का, जिनका उनके द्वारा पूर्व में किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विक्रय नहीं किया गया है तथा भूमियों का रूपान्तरण करवाने के बाद अपीलान्ट संख्या 1 से 3 को विक्रय किया गया है, उन भूमियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जो स्पष्टया अपीलान्ट के हितों के विरूद्ध है, क्योंकि विक्रय सिर्फ परथा द्वारा तेलियों को किया गया है न कि गोविन्द व तुलसीराम (अपीलान्ट संख्या 4 व 5) द्वारा किसी तेली अथवा गैर जनजाति के व्यक्ति को किया गया है। अर्थात कुल किता 7 रकबा 1035 हैक्टर में परथा का 2/3 हिस्सा के अलावा शेष हिस्से में अपीलान्ट संख्या 4 व 5 के नमा जो भूमियां दर्ज थी, उनका उनके द्वारा रूपान्तरण करवाकर अपीलान्ट संख्या 1 से 3 को विक्रय किया गया है अतएवं रूपान्तरित भूमियों को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माल लिये जाने का धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन माने जाने का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यन्त जल्दबाजी में एवं सरसरी निर्णय पारित किया गया, जो त्रुटि पूर्ण है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के निर्देशों के क्रम में साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा जनजाति के व्यक्तियों द्वारा जिन भूमियों का विक्रय कभी भी गैर जनजाति के व्यक्तियों को नहीं किया गया तथा रूपान्तरण के बाद उनके द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 से 3 को विक्रय किया गया उन भूमियों को धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन माने जाने का कोई आधार नहीं होने से भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है तथा इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की बाद जांच संशोधन की आवश्यकता रहती है। तद्नुसार प्रथम अपील संख्या 12/2004 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–01–2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगण रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है।

प्रकरण में जहां तक द्वितीय अपील संख्या 22/2014 का प्रश्न है, इस प्रकरण में भी नकल हेतु आवेदन दिनांक 09–01–2014 को पेश करने के बाद नकल दिनांक 02–05–2014 को अर्थात करीब 4 माह बाद तैयार

हुई है, जो विचारणीय है। नकल विलम्ब से दिये जाने के कारण यह अपील भी अन्दर मयाद दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 9 की ओर से वकील श्री गोपाल सनाढ्य व श्रीमती मीरा पोरवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है तथा मात्र पटवारी अम्बालाल के बयान दर्ज कर जिसमें भी उक्त गवाह ने सन् 1992 से 2002 तक भूमि पर कब्जे के बारे में कोई कथन नहीं किया है तथा इस बाबत् कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कानून की मंशा को समझे बिना यह कहकर कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण किया गया है जो अनुचित है, जो गलत है, क्योंकि जिस जिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 175 की कार्यवाही की गयी उस दिन भूमि अपीलान्ट के खाते में ही दर्ज थी ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण कर दिया है। प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा द्वारा वादी के रूप में वाद प्रस्तुत किया गया है, परन्तु वह साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। जिला कलक्टर स्वयं द्वारा रूपान्तरण का आदेश दिया गया है, फिर भी उनके स्वयं द्वारा धारा 175 के तहत कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट परथा द्वारा कुछ भूमियां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 को विक्रय कर दी गयी, जिसे आप न्यायालय द्वारा सही माना गया है व पूर्व में अपील संख्या 114/2009 स्वीकार करते हुए भूमि क्रेता के नाम दर्ज करने के आदेश दिये

हैं, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आप न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करते हुए भूमियों को पुनः बिलानाम दर्ज कर कब्जे राज लेने का आदेश दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट परथा को रूपयों की आवश्यकता होने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता वरधा तेली से वर्ष 1992 में रूपये उधार लिये थे, जिसकी एवज में सिक्योरिटी हेतु जमीन की लिखा–पढ़ी के बहाने वरधा ने जमीनों की रजिस्ट्री अपने नाबालिग पुत्रों के नाम करवा ली, जो विक्रय दस्तावेज नहीं है। विवादित भूमियों पर कब्जा परथा का ही था। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 का कभी कब्जा नहीं रहा। इस बात की जांच किये बिना अधिनस्थ न्यायालय ने प्रेक्षण आदेशों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा प्रेक्षण आदेशों के क्रम में अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी पाया कि प्रेक्षण आदेशों के क्रम में जिस साक्ष्य के लिए पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गयी थी, उस साक्ष्यी द्वारा भी इस न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेक्षण आदेशों के विरूद्ध जाकर सिर्फ विक्रय पत्र को आधार मानकर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही किये जाने का पूर्ववत निर्णय बहाल रखा है, प्रेक्षण आदेशों का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्वहन नहीं किया गया है। न ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, न ही प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश शुदा साक्ष्य से इस न्यायालय के प्रेक्षण आदेशों के क्रम में वांछित तथ्यों की पुष्टि होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रेक्षण आदेशों की अपालना है।

अतएवं द्वितीय अपील संख्या 22/2014 भी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–01–2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि इस न्यायालय के पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 12–11–2009 के प्रेक्षण आदेश को दृष्टिगण रखते हुए वांछित विधि कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय पारित करें।

समग्र रूप से उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–01–2014 अपास्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगण उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर एवं सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

पक्षकारान डिक्री की प्राप्त विभाजन प्रस्ताव हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–02–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

प्रतापसिंह पिता बसन्तीलाल भण्डारी, निवासी 29–ए, अलकापुरी, उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती ममता पत्नी रवीन्द्र अरोड़ा, निवासी 57 सिख कॉलोनी उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**292 / 2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**08**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**01**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दीपक शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कैलाश नागदा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03–08–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**01**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

दामोदरलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, नि0 बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**162/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजमल राव**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **कन्हैयालाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**212/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजमल राव** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री खेमराज डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।